**प्रेस विज्ञप्ति**

# भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का कार्यालय

**नई दिल्ली**

**21 दिसंबर, 2022**

## भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का संघ सरकार के लेखों पर प्रतिवेदन संसद में प्रस्तुत

वर्ष 2020-21 के लिए संघ सरकार के लेखों पर भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के 2022 के लेखापरीक्षान के लिए प्रतिवेदन संख्या 31 को आज संसद में प्रस्तुत किया गया।

### अध्याय 1: परिचय

- संसद में प्रस्तुत संघ सरकार के वार्षिक लेखों में वित्त लेखे और विनियोग लेखे शामिल होते हैं। संघ सरकार के वित्त लेखे (यूजीएफए) भारत की संचित निधि (सीएफआई), आकस्मिक निधि और लोक लेखे से प्राप्तियों और भुगतानों को दर्शाते हैं। संघ सरकार के विनियोग लेखे खर्च की तुलना संसद द्वारा अधिकृत आवंटन से करते हैं | इस प्रतिवेदन में, संघ सरकार के वित्तीय निष्पादन का विश्लेषण है और वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान सरकार की प्राप्तियों और संवितरण की महत्वपूर्ण प्रवृत्ति और संरचनात्मक रूपरेखा पर प्रकाश डाला गया है।

### अध्याय 2: संघ सरकार के वित्त का अवलोकन

- वित्तीय वर्ष 2021 के अंत में सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) स्थिर कीमतों (आधार वर्ष 2011-12) पर ₹135,58,473 करोड़ और मौजूदा कीमतों पर ₹1,98,00,914 करोड़ था । दोनों ही मामलों *में पिछले वर्ष की तुलना में क्रमश: 6.60 प्रतिशत* और 1.36 *प्रतिशत* की गिरावट दर्ज की गई। वित्तीय वर्ष 20 के दौरान मौजूदा कीमतों पर जीडीपी वृद्धि *6.22 प्रतिशत* की वृद्धि और स्थिर कीमतों पर 3.74 *प्रतिशत* रिकार्ड की गई| हालांकि, मौजूदा परिदृश्य को इस तथ्य के आलोक में देखा जा सकता है कि वैश्विक कोविड महामारी के कारण 21-2020 के दौरान अर्थव्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा। **[पैर 2.1]**

- वित्तीय वर्ष 21 के दौरान, संघ सरकार के पास कुल ₹135,36,878 करोड़ के संसाधन थे जिनमें ऋण प्राप्तियां (₹81,62,910 करोड़, 60.30 *प्रतिशत* ), सकल गैर-ऋण प्राप्तियां (₹25,27,330 करोड़, 18.67 *प्रतिशत* ) और सार्वजनिक खातों में सकल प्राप्तियां (₹28,48,879 करोड़, 21.05 *प्रतिशत* ) थी। ऋण की अदायगी (₹ 61,84,635 करोड़, 45.69 *प्रतिशत* ), सार्वजनिक खाते पर देनदारियों का निर्वहन (₹ 28,44,653 करोड़, 21.01 *प्रतिशत* ), वास्तविक व्यय (₹ 39,07,647 करोड़, 28.87 *प्रतिशत* ) और संघ के कर में राज्यों की हिस्सेदारी (₹ 5,94,997 करोड़, 4.40 *प्रतिशत* ), इस प्रकार कुल संसाधनों का अनुप्रयोग ₹ 135,31,932 करोड़ था | ₹25,27,330 करोड़ की सकल गैर-ऋण प्राप्तियों में सकल राजस्व प्राप्तियाँ (₹24,59,510 करोड़) और गैर-ऋण पूंजीगत प्राप्तियाँ (₹67,820 करोड़) शामिल हैं। ₹24,59,510 करोड़ की सकल राजस्व प्राप्तियों में ₹20,27,104 करोड़ की सकल कर प्राप्तियां (₹ 5,94,997 करोड़ के संघ के कर में राज्यों की हिस्सेदारी शामिल है) और ₹4,32,406 करोड़ की गैर-कर प्राप्तियां शामिल हैं।

**[पैरा 2.3]**

- ₹20,27,104 करोड़ की सकल कर प्राप्तियों में, प्रत्यक्ष कर ₹9,45,117 करोड़ (46.42 *प्रतिशत* ) और अप्रत्यक्ष कर ₹10,81,987 करोड़ (53.38 *प्रतिशत* ) था। इसके अलावा, ₹3,99,949 करोड़ का उपकर संग्रह वित्तीय वर्ष 2021 में सकल कर प्राप्ति का लगभग पांचवां हिस्सा था।

**[पैरा 2.3 और पैरा 2.3.1.1]**

- वित्तीय वर्ष 2021 में, संघ का कुल व्यय ₹39,07,647 करोड़ हुआ था, जो पिछले वर्ष की तुलना में 28.20 *प्रतिशत* अधिक था । जबकि ₹33,14,852 करोड़ के राजस्व व्यय में 26.75 *प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई, ₹ 2,49,846* करोड़ के ऋण और अग्रिमों पर व्यय में ₹45,141 करोड़ से 453.48 *प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई,* जो कि राज्य और केंद्र शासित प्रदेश सरकारों और आर्थिक सेवा क्षेत्र को बढ़े हुए ऋण और अग्रिम के कारण थी। हालांकि, ₹3,42,949 करोड़ का पूंजीगत व्यय पिछले वर्ष के ₹3,87,744 करोड़ के आंकड़ों की तुलना में 11.55 *प्रतिशत कम हुआ* ।

**[पैरा 2.4 और 2.4.1]**

- ₹33,14,852 करोड़ के राजस्व व्यय में वित्तीय वर्ष 21 में ₹7,20,984 करोड़ (21.75 *प्रतिशत*) का ब्याज भुगतान शामिल है - आंतरिक ऋण पर (₹6,44,829 करोड़), लघु बचत और भविष्य निधि, आदि पर (₹42,429 करोड़) , बाह्य ऋण पर (₹8,204

करोड़) और शेष अन्य दायित्वों पर (₹25,522 करोड़) । राजस्व प्राप्तियों के अनुपात के रूप में, ब्याज भुगतान वित्तीय वर्ष 20 में 33.64 *प्रतिशत* से बढ़कर वित्तीय वर्ष 21 में 38.67 *प्रतिशत* हो गया।

**[पैरा 2.4.2 (ए)]**

- वित्तीय वर्ष 2020 की तुलना में, वित्तीय वर्ष 2021 में सब्सिडी पर व्यय 187.81 *प्रतिशत* बढ़कर ₹7,54,936 करोड़ हो गया, मुख्य रूप से खाद्य सब्सिडी के बदले भारतीय खाद्य निगम को बकाया भुगतान के कारण। वित्तीय वर्ष 2021 में खाद्य सब्सिडी पर वार्षिक वृद्धि 398.06 *प्रतिशत* थी। इस पर्याप्त वृद्धि के कारण, सब्सिडी पर व्यय राजस्व व्यय के प्रतिशत के रूप में वित्तीय वर्ष 2020 में 10.03 *प्रतिशत से बढ़कर वित्तीय वर्ष 2021 में* 22.77 *प्रतिशत हो* गया।

**[पैरा 2.4.2 (सी)]**

- पिछले चार वर्षों में केंद प्रायोजित योजनाओं से संबंधित राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को सहायता अनुदान (जीआईए) वित्तीय वर्ष 2021 में ₹2,08,394.63 करोड़ था, जबकि पिछले दो साल में वित्त आयोग का अनुदान ₹93,703.58 से बढ़कर ₹1,84,062.50 करोड़ हो गया। मुख्य रूप से 'पोस्ट-डिवोल्यूशन रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट' में ₹46,026.50 करोड़ की वृद्धि के बाद, वित्त आयोग के अनुदान में वित्तीय वर्ष 2021 में 48.79 *प्रतिशत* की वृद्धि हुई। विधानसभा वाले केंद्र शासित प्रदेशों के संबंध में, जम्मू और कश्मीर को ₹ 30,757 करोड़ की 'विशेष सहायता' के कारण वृद्धि हुई।

**[पैरा 2.4.2 (डी)]**

- वित्तीय वर्ष 21 में, यूजीएफए के अनुसार कुल देयता ₹122,85,644 करोड़ थी। वित्तीय वर्ष 2018 के बाद से कुल देयता में लगातार 10 *प्रतिशत* से अधिक की वृद्धि हुई है। सार्वजनिक ऋण (22.88 *प्रतिशत)* में वृद्धि के कारण वित्तीय वर्ष 2021 में 17.64 *प्रतिशत* वृद्धि हुई।

**[पैरा 2.5]**

- वित्तीय वर्ष 21 में राजकोषीय घाटा ₹19,75,314 करोड़ था । राजकोषीय घाटे को मुख्य रूप से 90 *प्रतिशत* से अधिक हिस्सेदारी के साथ कुल आंतरिक ऋण से वित्तपोषित किया गया था। वित्तीय घाटे के वित्तपोषण के लिए बाहरी ऋण में भी वित्तीय वर्ष 17 में 17,997 करोड़ से वित्तीय वर्ष 21 में ₹ 89,223 करोड़ तक लगातार वृद्धि देखी गई । वित्तीय वर्ष 21 में ₹ 19,75,314 करोड़ के राजकोषीय घाटे में संघ सरकार द्वारा राज्य सरकारों की तरफ से ₹ 1,10,208 करोड़ की उधारी शामिल थी, जो उन्हें

जीएसटी मुआवजा उपकर में कमी की भरपाई के लिए बैक टू बैक ऋण के रूप में हस्तांतरित की गई थी। वित्तीय वर्ष 21 में ₹19,75,314 करोड़ के राजकोषीय घाटे में से, ₹14,50,339 करोड़ (73.42 प्रतिशत) राजस्व खाते में था, जिसमें पिछले साल से 8.71 प्रतिशत की वृद्धि हुई।

**[पैरा 2.7]**

## अध्याय 3: लेखों की गुणवत्ता और वित्तीय रिपोर्टिंग कार्यप्रणाली

- यूजीएफए के विवरण 4 में दर्शाई गई गारंटियों की लेखापरीक्षा में सार्वजनिक क्षेत्र की संस्थाओं को दी गई गारंटियों का खुलासा न करने, यूजीएफए और सीपीएसई के रिकॉर्ड में दर्शाई गई गारंटियों के बीच अंतर और गारंटी शुल्क की गैर-वसूली के मामले सामने आए।

**[पैरा 3.2]**

- यूजीएफए विवरण 11 सांविधिक निगमों, कंपनियों, अन्य संयुक्त स्टॉक कंपनियों, सहकारी बैंकों और समितियों आदि में संघ सरकार द्वारा निवेश का विवरण दर्शाता है। संस्थाओं की वार्षिक रिपोर्टों की तुलना में इक्विटी शेयरों की संख्या और सरकारी शेयरधारिता के प्रतिशत से संबंधित जानकारी में अंतर था, कुछ संस्थाओं में निवेश का विवरण नहीं था, लाभांश के भुगतान में कमी और लाभांश का विवरण आदि नहीं था |

**[पैरा 3.3]**

- उचंत शीर्षों में केवल निवल शेष दर्शाया गया था और इन शीर्षों के अंतर्गत बकाया राशि को क्रेडिट और डेबिट शेष के रूप में अलग से प्रस्तुत नहीं किया गया था। परिणामस्वरूप, उचंत खाता (सिविल) के तहत शेष राशि में 91.64 *प्रतिशत* और पीएसबी उचंत के तहत 58.60 *प्रतिशत* का अंतर था। **जैसा कि खातों** से देखा जा सकता है अधिक **उचंत शेष का संचय, प्राप्ति, व्यय और नकद शेष की स्थिति की सटीकता** को प्रभावित करता है **।**

**[पैरा 3.4.1 और 3.4.2]**

- निर्दिष्ट आरक्षित निधियों में उपकर/लेवी की एकत्रित राशि का कम/गैर-हस्तांतरण, आरक्षित निधियों का उपयोग न होना, इस प्रकार बिना किसी लेनदेन के आरक्षित

निधि का अप्रयुक्त रहना और आरक्षित निधि के तहत लेनदेन के लेखांकन में अनुमोदित लेखांकन प्रक्रिया से विचलन के मामले देखे गए।

**[ पैरा 3.6]**

- वित्तीय वर्ष 21 के अंत में ₹5,58,394 करोड़ की राशि संघ सरकार द्वारा राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों और अन्य संस्थाओं को दिए गए ऋण और अग्रिम के रूप में बकाया था। इसमें से, वित्तीय वर्ष 2021 के अंत में वसूली (मूलधन और ब्याज) के लिए बकाया राशि ₹63,763 करोड़ थी ।

**[पैरा 3.7]**

- वित्तीय वर्ष 21 के दौरान, यूटीआई (एसयूयूटीआई) के निर्दिष्ट उपक्रम ने ₹3,124.86 करोड़ (ब्याज और लाभांश आय में से भारत सरकार को प्रेषित राशि ₹1,497.00 करोड़ और एक्सिस बैंक में स्ट्रेटीजिक होल्डिंग की बिक्री के प्रति ₹1,627.86 करोड़), जिसको गैर-कर प्राप्तियों के रूप में मानने की बजाए, यूजीएफए में एमएच 4000-विविध पूंजी प्राप्तियों के तहत उप- मुख्य शीर्ष-01 के अंतर्गत 'अन्य प्राप्तियां' (लघु शीर्ष 800) के रूप मे प्रस्तुत किया गया था।

**[पैरा 3.8.3]**

## अध्याय 4: बजटीय प्रबंधन

- वित्तीय वर्ष 2021 के लिए 101 मांगों वाले विनियोग लेखों में, ₹119,04,054.99 करोड़ के कुल प्रावधानों को मंजूरी दी गई थी, जिसमे कुल व्यय ₹107,52,209.61 करोड़ और कुल बचत, ₹11,51,845.38 करोड़ थी।

**[पैरा 4.1.1]**

- निर्धारित राशि से ₹1,18,651.04 करोड़ का अधिक संवितरण किया गया था जिसमें रक्षा मंत्रालय के दो अनुदान और खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग से संबंधित एक अनुदान शामिल था। खाद्य एवं सार्वजनिक संवितरण विभाग में ₹1,18,648.60 करोड़ की अधिकता का मुख्य कारण भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई ) को सब्सिडी का भुगतान और एफसीआई को एनएसएसएफ ऋण की बकाया राशि का पुनर्भुगतान था। सरकार ने कहा कि वित्त मंत्रालय के परामर्श से, संसद की मंजूरी प्राप्त करके उचित समय में इस अतिरिक्त धनराशि को नियमित किया जाएगा।

**[पैरा 4.2.1]**

- सभी अनुदानों/विनियोगों के तहत कुल बचत ₹11,51,845.38 करोड़ थी, *जो* कुल प्राधिकरणों का 9.68 *प्रतिशत है*/ 77 अनुदानों/विनियोगों के 113 खंडों में ₹100 करोड़

या उससे अधिक की बचत हुई, जो कुल ₹12,68,488.40 करोड़ थी। इसके अलावा, वित्तीय वर्ष 2021 में 22 अनुदानों /विनियोगों में से नौ में ₹5,000 करोड़ या उससे अधिक की बचत के साथ वित्तीय वर्ष 19 और वित्तीय वर्ष 20 में भी पर्याप्त बचत थी।

**[पैरा 4.2.2 और 4.2.2.1]**

- 97 सिवल अनुदानों/विनियोगों में से 69 अनुदानों/विनियोगों के 324 मामलों में, लघु-शीर्ष/उप-शीर्ष स्तर पर ₹500 करोड़ या अधिक की महत्वपूर्ण बचत और *न्यूनतम ₹100* करोड़ होने पर आवंटन के 25 *प्रतिशत से अधिक की बचत,* देखी गई।

**[पैरा 4.2.2.2]**

- आठ अनुदानों के तहत 11 लघु/उप-शीर्षों में, ₹1,680.17 करोड़ की राशि के अनुपूरक प्रावधान, वित्तीय वर्ष 2021 के दौरान उच्च व्यय की प्रत्याशा में प्राप्त किए गए थे, लेकिन ₹10,219.33 करोड़ का अंतिम व्यय ₹13,017.06 करोड़ के मूल प्रावधानों से कम था।

**[पैरा 4.3]**

- संसद की पूर्व स्वीकृति के बिना, वित्तीय वर्ष 2021 के दौरान वस्तु शीर्ष 'सहायता अनुदान' और 'पूंजीगत परिसंपत्ति के निर्माण के लिए अनुदान' से संबंधित दो अनुदानों के तहत पांच मामलों में नई सेवा/सेवा के नए उपकरणों पर कुल ₹7.58 करोड़ का व्यय हुआ, जो कुल निर्धारित राशि से अधिक था ।

**[पैरा 4.8]**

---